

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक- शिविरा-मा/संस्था/गोप्र/शाला दर्पण/Online Module/2020-21दिनांक-03.08.2021

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक।

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।

विषय:-ऑनलाइनएपीएआर मोड्यूल के संबंध में अतिरिक्त दिशा-निर्देश।

एपीएआर मोड्यूल पर ऑनलाइन के प्रथम चरण में द्वितीय श्रेणी कार्मिक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक (मावि) एवं प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पदों पर कार्यरत समस्त लोकसेवकों के लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया 2 अगस्त 2021 से प्रारंभ की गई है। इस कार्यालय से दिनांक 30.07.2021 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इस संबंध में अतिरिक्त दिशा-निर्देश निम्नानुसार है:-


1. ब्लॉक अधिकारी अपने ब्लॉक के शेष संस्थाप्रधानों को चरणबद्ध तरीके से यथाशीघ्र वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन मॉड्यूल के प्रशिक्षण का आयोजन करें। यह प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर की Soft V.C./ब्लॉक निष्पादन समिति के माध्यम से किया जा सकता है।
2. लोकसेवक से प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर यथोचित कारण होने पर ही डिलीट किया जाए। सीबीईओ व सीडीईओ लॉगिन पर डिलीट ऑप्शन उपलब्ध करवाया गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उक्त प्रक्रिया प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन को समीक्षा अधिकारी को प्रेषित करने से पूर्व ही संपादित की जा सकती है।
3. जिन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य या व्याख्याता का पद रिक्त है तो उन विद्यालयों में रिपोर्टिंग का कार्य उस अधिकारी द्वारा संपादित किया जाएगा जिसके पास संबंधित विद्यालय का आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व अर्थात् 03 की पावर है।
4. उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने पर यदि व्याख्याता द्वारा कार्यवाहक प्रधानाचार्य के दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है तो प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में संबंधित सीबीईओ का चयन किया जाना है आगे की शेष कार्यवाही इस कार्यालय के परिपत्र 23.11.2020 के अनुसार की जानी है।
5. मॉड्यूल में Do you want to choose DIR/ADIRSEC as reporting/reviewing officer का चयन परिपत्र 23.11.2020 के अनुसार निदेशालय, आईएससी अजमेर/बीकानेर तथा



संयुक्त निदेशक कार्यालय के चुनिंदा पदों के द्वारा ही किया जाना है शेष द्वारा इसे NO के रूप में चयन किया जाना है।

6. मॉड्यूल में लोकसेवक का प्रकार में कार्मिक अपनी संबंधित एपीएआर वर्ष के अंतिम समय में कार्यरत कार्यालय व पद के अनुसार ही चयन करें।
7. समस्त सीबीईओ कार्यालय 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक संबंधित कार्यालय में कार्यरत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का नाम, पद, अवधि, मोबाइल नंबर, एम्पलाई आईडी तथा संबंधित अवधि में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का नाम, पद, अवधि, मोबाइल नंबर एवं एंप्लोई आईडी की एक सूची जारी करें जिससे की अधिनस्थ कार्मिक अपने प्रतिवेदक अधिकारी एवं समीक्षक अधिकारी का सही चयन कर सकें।
8. प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी, लोक सेवक से प्राप्त प्रतिवेदन को उच्च स्तर पर प्रेषित करने से पूर्व स्वयं का वर्तमान पद तथा समीक्षा अवधि में पद/धारित पद में यदि अन्तर हो तो मॉड्यूल में अपने धारित पद का चयन करके ही आगामी कार्यवाही करें। जिससे प्रतिवेदन पर संबंधित प्रतिवेदन/समीक्षक अधिकारी का मूल पद एवं समीक्षाअवधि का पद प्रदर्शित हो सकेगा।

उक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए अपने अधिनस्थ कार्यालयों को भी पाबन्द करें।

 3/8/21

उपनिदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक- शिविरा-मा/संस्था/गोप्र/शाला दर्पण/Online Module/2020-21दिनांक-03.08.2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
4. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
5. समस्त जि०शि०अ० (मुख्यालय) प्रा./मा./समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)।
7. समस्त पीईईओ/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक-माध्यमिक शिक्षा।
8. शाला दर्पण प्रभारी, कार्यालय हाजा।
9. समस्त ग्रुप/अनुभागाधिकारी, कार्यालय हाजा।
10. स्टाफ ऑफिसर कार्या. हाजा।

 3/8/21

उपनिदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर